



49

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

क्र। 3692-II-15

प्रकरण क्रमांक

/2015 पुनरीक्षण

श्री १६.३.१५
द्वारा आज दि
प्रस्तुत १८/१५
क्रमांक १८/१५
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

भागीरथ तिवारी प्रभुदयाल तिवारी
निवासी— वार्ड नं० २, जानकी बाग
तिराहा, जिला टीकमगढ़,— आवेदक

बनाम

म०प्र० शासन

— अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता
1959 विरुद्ध आदेश पत्रिका दिनांक 10/11/2015

पारित द्वारा न्यायालय कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़,
के प्रकरण क्रमांक 24/बी-121/2015-16 व उनवान
म०प्र० शासन बनाम भागीरथ तिवारी।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यहकि, प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1431 पुराना वार्ड क्रमांक - 2 में से 200 वर्गफुट भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु आवेदक को अनावेदक शासन द्वारा स्थायी पट्टा न्यायालय नजूल अधिकारी टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 07/अ-20(1)/93-94 एवं कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2/अ-20(2)/1994-95 में दिनांक 15/9/1995

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
 प्रकरण क्रमांक. R 3692 - ६१/१५ जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.2.19	<p>जोड़पीर नायक उपरा काना आमन की छोड़के थी अभ्युपत्ति उपरा आदेशक लाइन के सिफ-३-८ औ प्रकार नीचे से सामान उपरा आना औ प्रकार ढारिल गी काटी हो।</p> <p style="text-align: right;">सुमित्रा</p>	<p>Not Paid ७८० चूहा</p>